यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला समाज कल्याण अधिकारी, चमोली** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **जिला समाज कल्याण अधिकारी, चमोली** के माह 04/2016 से माह 11/2017 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री अरिन्दम चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, **श्री महेश चंद, पर्यवेक्षक** एवं श्री **दयाशंकर**, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 07.12.2017 से 15.12.2017 तक श्री **राज बहादुर**, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–1

1. **परिचयात्मकः**– इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री दीपेश कुमार , सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक एवं श्री दया शंकर , वरिष्ट लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 27.04.2016 से 07.05.2016 तक श्री रणवीर सिंह चौहान, वरिष्ट लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 12/2014 से माह 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2016 से 11/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः–** इकाई द्वारा जनपद के अन्तर्गत जनपद के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं समाज के कमजोर वर्ग आदि के उत्थान के लिए विभिन्न पेन्शन योजनाओं, छात्रवृत्ति, शादी विमारी, अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावास एवं अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास आदि योजनाओं के माध्यम से कार्य किया जाता है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः–

(धनराशि रु. लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2014-15	Nil	Nil	86.44	61.66	24.78	3018.06	2960.45	57.61
2015-16	Nil	Nil	66.88	65.39	1.49	2534.273	2378.09	156.17
2016-17	Nil	Nil	74.65	70.71	3.94	2732.665	2550.58	182.08

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः–

(धनराशि रु.लाख में)

योजना का नाम	2015–16			2016–17		
	प्रा.अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रा.अवशेष	प्राप्ति	व्यय
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन. एस. ए. पी)	Nil	295.80	277.14	18.66	390.11	361.26
अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति	Nil	11.75	11.75	Nil	98.34	98.33
अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति	Nil	22.41	12.00	10.41	12.00	7.34
अन्य पिछड़ा वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति	Nil	5.74	2.61	3.13	8.53	1.02

(अ) इकाई को बजट आबंटन **निदेशक, समाज कल्याण राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार** द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाइ ...**ब** ....श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढ़ांचा निम्नवत हैः– सचिव, समाज कल्याण ⟶ निदेशक, समाज कल्याण ⟶ जिला समाज कल्याण अधिकारी

(ब)**लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः–** लेखापरीक्षा में कार्यालय द्वारा गरीब, निर्बल, परितकता, निःशक्त, आरक्षित श्रेणी के लोगों को बिभिन्न योजनाओ के माध्यम से लाभ प्रदान किया जाता है ..(अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देषों के अनुसार जिन–जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अंकित किया जाए) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला समाज कल्याण अधिकारी, चमोली** (जिस इकाई की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी हो उसे अंकित किया जाए) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 एवं 10/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। शादी एवं बीमारी योजना, बृद्धावस्था पेंशन योजना, दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास, गौरा देबी कन्याधन योजना, विकलांग पेंशन योजना आदि का **वश्लेषण** किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय के आधार पर किया गया।

(स) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य,शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (डी. पी. सी. एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षक विनियम 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संपादित की गयी।

भाग-दो (ब)

प्रस्तरः- **1** शासन द्वारा निरस्त कार्य पर **₹ 16.77** लाख का निष्फल व्यय एवं **₹ 4.12** लाख की धनरा श वगत **03** वर्षों से कार्यदायी संस्था के पास अवरूद्ध रखना।

अनुसू चत जाति उपयोजना के अन्तर्गत अनुसू चत जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सु वधाओं का वकास योजना के अन्तर्गत वत्तीय वर्ष 2013-14 में जनपद में 23 निर्माण कार्यो के लए ₹ 243.94 लाख का आवंटन प्रदान कया गया था। इन कार्यों में बारात घर, सी0सी0 मार्ग निर्माण, सम्पर्क मार्ग एवं सामुदायिक भवन आदि कार्य शा मल थे। शासनादेश में स्पष्ट प्रावधान था क भू म की उपलब्धता एवं योजना के भौतिक सत्यापन के पश्चात ही रा श का आहरण कया जायेगा।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अ धकारी, चमोली के अनुसू चत जाति उपयोजना के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में स्वीकृत कार्यों के निर्माण से सम्बन्धित अ भलेखों की जाँच में पाया गया क इकाई के पत्रांक सं0 मैमों/स क/एस सी पी/2014-15 दिनांक 09 सतम्बर 2014 के अनुपालन में कार्यदायी संस्था जिला पंचायत पोखरी को 02 कार्यो के लए स्वीकृत धनरा श ₹ 33.54 लाख के सापेक्ष प्रथम कस्त के रूप में ₹ 16.77 अवमुक्त कये गये। ववरण निम्न हैः-

(धनरा श लाख में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	स्वीकृत धनरा श	अवमुक्त धनरा श
1.	देवर में अनुसू चत जाति बस्ति देवर तल्ला से बुखलीधार तोक तक खड़जा सी0सी0, रे लंग मार्ग निर्माण	14.36	7.18
2.	देवर में अनुसू चत जाति बस्ति देवर पल्ला में देवरखाल से बंडरमेक तोक तक अनु0 जाति बस्ती में मार्ग निर्माण	19.18	9.59
	योग	**33.54**	**16.77**

उक्त कार्यो के संदर्भ में शासन के पत्रांक सं0 1550/XXIV/14-11(13)/2014 दिनांक 24 सतम्बर 2014 द्वारा उपरोक्त कार्य के प्रगति के सम्बन्ध में इकाई की आख्या चाही गयी थी। उक्त शासनादेश के अनुपालन में इकाई द्वारा दिनांक 25 सतम्बर 2017 को शासन को अवगत कराया क निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को 50 प्रतिशत धनरा श अवमुक्त की जा चुकी है परन्तु वर्तमान ति थ तक कार्य पर कया गया व्यय शून्य है। इसी क्रम में शासन द्वारा एक अन्य शासनादेश सं0 1674/XVII-4/2014-11(13) दिनांक 01 अक्टूबर 2014 को, उक्त कार्य निरस्त करते हुए कार्य की समस्त धनरा श ₹ 33.54 लाख को तत्काल राजकोष में जमा करने के आदेश दिये गये। सम्प्रेक्षा अव ध (11/17) तक

धनरा श शासन को प्रे षत नही कया जा सकी थी। संज्ञान में आया क शासन द्वारा जो 02 कार्य निरस्त कये गये थे की अवमुक्त धनरा श ₹ 16.77 लाख कार्यदायी संस्थान (नगर पंचायत पोखरी) द्वारा व्यय कया जा चुका था। जब क शासन को, जब इकाई द्वारा कार्यो की प्रगति के सम्बन्ध में सूचना प्रे षत की गयी थी तो समस्त अवमुक्त धनरा श ₹ 16.77 लाख का कार्य दायी संस्था के पास उपलब्ध थी। इकाई द्वारा शासन से कार्य निरस्त होने की दशा में अ वलब्म धनरा श कार्यदायी संस्था से प्राप्त की जानी चाहिए थी। जब क इकाई द्वारा शासन से कार्यो की निरस्त की सूचना कार्यदायी संस्था को पत्रांक संख्या 1646-48/स0क0एस0सी0पी0/2014-15 दिनांक 28 अक्टूबर 2014 को अर्थात शासनादेश जारी होने के 28 दिनो के पश्चात प्रे षत कया गया जो क वभागीय श थलता को दर्शाता है। अतः शासन द्वारा स्वीकृत कार्य पर ₹ 16.77 निरर्थक व्यय से भी इन्कार नही कया जा सकता है एवं अवशेष धनरा श ₹ 16.77 लाख इकाई स्तर सम्प्रेक्षा अव ध (11/17) तक अवरूद्ध पड़ी है। परिणाम स्वरूप उक्त दोनो निर्माण कार्य पर धनरा श ₹ 16.77 लाख का कया गया व्यय निरर्थक है चूँ क निर्माण कार्य अधूरे पर ही छूटा है।

शासनादेशनुसार भू म की उपलब्धता सुनिश्चित के पश्चात ही कार्यदायी संस्था को धनरा श अवमुक्त कया जाना चाहिए था। जाँच में पाया गया क बिना भू म की उपलब्धता सुनिश्चित कये बिना ही धनरा श ₹ 4.12 लाख कार्यदायी संस्था (खण्ड वकास अ धकारी दशोली) को अवमुक्त कर दी गयी थी जो 03 वर्षो से कार्यदायी संस्था के पास अवरुद्ध पड़ी है। ऐसे कार्य का ववरण निम्न हैः-

(धनरा श लाखो में)

क्र0सं0	योजना का ववरण	स्वीकृत धनरा श	आवंटन धनरा श
1.	अनुसू चत जाति बस्ति में बरातघर निर्माण सोनला	8.24	4.12
	योग	**8.24**	**4.12**

उक्त आप त्तयों के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा इं गत करने पर इकाई ने कहा क कार्यालय द्वारा कार्यदायी संस्था नगर पंचायत पोखीर को वापस कये जाने सम्बन्ध में पत्राचार कया गया था। कन्तु निर्माण इकाई द्वारा अवगत कराय गया क प्रे षत धनरा श को उनके द्वारा व्यय कया जा चुका है जिसके फलस्वरूप धनरा श को वापस कया जाना सम्भव नहीं है।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नही है क्यों क इकाई द्वारा कार्य निरस्त की जानकारी कार्यदायी संस्था को शासनादेश जारी होने के 28 दिन के बाद प्रे षत कया गया था जो क पूर्णता इकाई की लापरवाही है। यदि कार्यदायी संस्था को उल्ले खत कार्य का निरस्त करने संबंधी जानकारी समयान्र्तगत कया गया होता तो कार्यो पर ₹ 16.77 लाख के निष्फल व्यय से बचा जा सकता था एवं भू म की उपलब्धता सुनिश्चित कये बिना धनरा श अवमुक्त करने के संदर्भ में इंगति करने पर इकाई ने कहा क अवमुक्त धनरा श वापस कये जाने के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था से पत्राचार कया जा रहा है उत्तर

सम्प्रेक्षा को मान्य नही है क्यों क नियमानुसार बिना भू म की उपलब्धता सुनिश्चित कये बिना धनरा श कार्यदायी संस्था को अवमुक्त नही कया जाना चाहिए था।

अतः शासन द्वारा निरस्त कार्य पर ₹ 16.77 लाख का निष्फल व्यय एवं ₹ 4.12 लाख की धनरा श वगत 03 वर्षो से कार्यदायी संस्था के पास अवरूद्ध रखने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर:2. निर्धारित आयु सीमा पूर्ण किये बिना वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत करने तथा धनराशि रु0 2.01 लाख का अदेय भुगतान किया जाना।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले तथा 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पुरुष अथवा महिला को वृद्धावस्था पेंशन राज्य एवं केन्द्र द्वारा सम्मिलित रुप से समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। वृद्धावस्था पेंशन ऐसे व्यक्ति जिनकी सभी श्रोतों से मासिक आय न्यूनतम 4000 मासिक से अधिक न हो तथा जिनके 20 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुत्र की भी आय का कोई साधन न हो, को प्रदान किया जाता है। वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान जनवरी 2014 से पूर्व रु0 400 प्रतिमाह, जनवरी 2014 से रु0 800 प्रतिमाह तथा जून 2016 से रु0 1000 प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जा रहा है।

योजनान्तर्गत विभागीय कार्मिकों द्वारा माह मई 2016 में किये गये लाभार्थियों के सत्यापन सम्बन्धी अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि इकाई द्वारा 04 लाभार्थियों के आधार कार्ड पर अंकित जन्मतिथि के अनुसार जिनकी आयु वर्तमान में भी 60 वर्ष से कम है, को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत किया गया था तथा उनकों पेंशन स्वीकृति के माह से लगातार पेंशन का भुगतान किया गया था। विवरण निम्नवत् है;

क्रम सं0	लाभार्थी का नाम	लाभार्थी संख्या	जन्म तिथि	पेंशन स्वीकृति का माह	माह तक किया गया भुगतान	अधिक भुगतानित माह की संख्या	अनियमित भुगतानित पेंशन की राशि
1	बसन्ती देबी/राम सिंह	CHM-RO 405/6616	01.01.1960	04/2012	09/2017	78	52400
2	रेवती देबी/पुष्कर सिंह	CHM-RO 405/7529	01.01.1957	04/2012	12/2016	69	43400
3	हेमा देबी/मोहन सिंह	CHM-RO 405/6612	01.01.1958	04/2012	09/2017	78	52400
4	रमेश चन्द्र/शोभा राम	CHM-RO 405/17589	24.04.1965	04/2012	09/2017	78	52400
	कुल योग						200600

उपरोक्त तालिका में वर्णित लाभार्थियों के सत्यापन के दौरान प्रस्तुत आधार कार्ड में अंकित जन्मतिथि के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति के लिए निर्धारित आयु सीमा कि 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, से कम पायी गयी। परन्तु इन लाभार्थियों को निर्धारित आयुसीमा से पूर्व ही पेंशन स्वीकृत किया गया था तथा उनको पेंशन के रुप में धनराशि रु0 2.01 लाख का अदेय भुगतान किया गया था। यह भी पाया गया कि इन लाभार्थियों को वर्तमान में भी पेंशन किस्त का भुगतान किया जा रहा था।

लेखापरीक्षा के दौरान इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि इन लाभार्थियों द्वारा पूर्व में प्रस्तुत दस्तावेजों यथा परिवार रजिस्टर में अंकित जन्मतिथि के आधार पर पेंशन स्वीकृत किया गया था। वर्तमान में आधार कार्ड में अंकित जन्म तिथि के अनुसार उम्र कम होने की स्थिति में निदेशालय स्तर से पत्राचार कर दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

अतः वृद्धावस्था पेंशन मद में निर्धारित आयु पूर्ण किये बिना वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत करने तथा धनराशि रु0 2.01 लाख का अदेय भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तरः-**3** राजकीय अनुसू चत जनजाति आवासीय छात्रावास में भोजन व्यवस्था पर **₹ 2.39** लाख का अनिय मत व्यय।

समाज कल्याण वभाग के अन्तर्गत संचा लत आवासीय संस्थाओं में भोजन व्यवस्था के सम्बन्ध में जारी शासनादेश (जनवरी/2009) में स्पष्ट प्रावधान है क समाज कल्याण वभाग के अन्तर्गत संचा लत व भन्न आश्रम पद्धति वद्यालय तथा 25 एवं उससे अ धक संवा सयों/संवा सनियों की समस्त आवासीय संस्थाओं में भोजन व्यवस्था नि वदा के आधार पर Outsource के माध्यम से कराये जाने का प्रावधान है एवं नि वदा की अव ध एक वर्ष रखी जायेगी तथा नि वदा हेतु उत्तराखण्ड अ धप्राप्ति नियमावली 2008 एवं अन्य नियमों का कटोरता से अनुपालन सुनिश्चित कया जायेगा।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अ धकारी चमोली के लेखा भलेखों की जाँच में पाया गया क इकाई द्वारा संचा लत आवसीय राजकीय अनुसू चत जाति आवासीय छात्रावास चमोली में वर्ष 2017-18 में छात्रों की सं0 48 है। जिसके लए नियमानुसार नि वदा के माध्यम से भोजन की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। जिसका अनुपालन इकाई द्वारा नही कया गया। वद्यालय में भोजन व्यवस्था पर पूर्व स्वीकृत नि वदा वर्ष 2016-17 (मैसर्स मैट्रिक इन्वायरमेंटल राजेशवरपुरम श्यामपुर ऋ षकेश) के पूर्व स्वीकृत दर पर ही वर्ष 2017-18 में भी छात्रावास में भोजन की व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार वर्ष 2017-18 में भोजन व्यवस्था पर सम्प्रेक्षा अव ध (11/2017) ₹ 2.39 लाख का अनिय मत धनरा श व्यय कया गया है। शासनादेश में स्पष्ट प्रावधान था क नि वदा की अव ध केवल एक वर्ष रखी जायेगी। शासनादेश अनुसार वत्तीय वर्ष 2017-18 के लए छात्रावास हेतु भोजन व्यवस्था पर नि वदा अनिवार्य रूप से कया जाना चाहिए था। जिसका अनुपालन इकाई द्वारा नही कया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगति करने पर इकाई ने कहा क वर्ष 2017-18 में भोजन व्यवस्था हेतु निदेशालय के आदेशानुसार वर्ष 2016-17 हेतु आमंत्रित नि वदा के आधार पर भोजन व्यवस्था ठेकेदार के माध्यम से संचा लत की जा रही है।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नही है क्यों क शासनदेश में स्पष्ट प्रावधान था क समाज कल्याण वभाग के अन्तर्गत संचा लत आवासीय संस्थाओं में भोजन व्यवस्था नि वदा के आधार पर Outsource के माध्यम से कराये जाने का प्रावधान है एवं नि वदा की अव ध एक वर्ष रखी जायेगी। जब क नि वदा अव ध समाप्त होने के पश्चात भी छात्रावास के लए भोजन की व्यवस्था संस्था द्वारा की जा रही है। जो की शासनदेश की अवहेलना है।

अतः राजकीय अनुसू चत जन जाति आवासीय छात्रावास में भोजन व्यवस्था पर ₹ 2.39 अनिय मत व्यय करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तरः 4 अम्बेडकर भवन निर्माण कार्य के आगणन पर बिना अनुमोदन प्राप्त किये कार्य प्रारम्भ किये जाने तथा धनराशि रु0 76.92 लाख का व्यय किये जाने के उपरान्त भी कार्य पूर्ण न किया जाना।

शासन द्वारा अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास योजना के अन्तर्गत एक अम्बेडकर भवन, जिसकी लागत ` 1.00 करोड के भीतर हो, निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 में स्वीकृत किया गया था। निदेशक, समाज कल्याण द्वारा निर्माण कार्य हेतु माह फरवरी 2011 में ` 38.96 लाख एवं सितम्बर 2011 में ` 38.96 लाख कुल धनराशि ` 76.92 लाख निर्गत की गयी थी। अम्बेडकर बहुउद्देशीय भवन के निर्माण का उद्देश्य अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए मार्केटिंग व्यवस्था, शिल्पी प्रशिक्षण केन्द्र, ठहरने की व्यवस्था, कौशल वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम, गोष्ठी तथा कॉन्फ्रेन्स हाल आदि के लिए किया जाना था। आवंटन पत्र में यह निर्देशित किया गया कि उक्त भवन के निर्माण हेतु माडल आगणन तैयार कर निदेशक, समाज कल्याण से अनुमोदन उपरान्त ही डा0 भीमराव अम्बेडकर बहुउद्देशीय भवन के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जाय तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय को अधिकतम वित्तीय वर्ष की समाप्ति के भीतर अवश्य प्रस्तुत किया जाए।

सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि भवन निर्माण के लिए आवंटित सम्पूर्ण धनराशि का आहरण कर मार्च 2011 एवं नवम्बर 2011 में कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, चमोली को उपलब्ध करा दी गयी थी। जिलाधिकारी के पत्र दिनांक फरवरी 2013 तथा निर्देशों के क्रम में सिंचाई खण्ड द्वारा निर्माण के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न किये जाने के कारण निर्माण की धनराशि अन्य कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड, गोपेश्वर को उपलब्ध करा दिया गया था। तद्उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा अम्बेडकर भवन निर्माण हेतु ` 92.58 लाख का आगणन वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रेषित की गयी थी। पुनः निदेशालय, समाज कल्याण के पत्र दिनांक 11 दिसम्बर 2013 के माध्यम से संशोधित आगणन ` 99.85 लाख को शासन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रेषित किया गया था। परन्तु शासन का अनुमोदन वर्तमान तक अप्राप्त है। कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत मासिक प्रगति प्रतिवेदन की जॉच में पाया गया कि निर्माण कार्य अक्टूबर 2013 में प्रारम्भ किया गया था तथा माह जुलाई 2015 तक उपलब्ध धनराशि ` 76.92 लाख का व्यय किया जा चुका था तथा भौतिक प्रगति 85 प्रतिशत तक थी। निर्माण कार्य विगत 02 वर्ष से भी अधिक समय से बन्द पडा था। अतः अधूरे निर्माण कार्य के इतने अधिक दिनों तक बन्द होने से निर्माण कार्य के दिन प्रति दिन जर्जर होने से इनकार नहीं किया जा सकता। डा0 भीमराव अम्बेडकर बहुउद्देशीय भवन का निर्माण कार्य वर्तमान तक पूर्ण नहीं हो पाया

था जिससे अनुसूचित जाति, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र की जनता को इन भवनों से होने वाले लाभो से वंचित रहना पड रहा है।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि वर्तमान में आगणन के अनुमोदन सम्बन्धी दस्तावेज प्राप्त नहीं हो पा रहे है। इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था से सम्पर्क कर यथास्थिति से अवगत कराया जाएगा। यह भी अवगत कराया कि प्रस्तुत आगणन के अनुसार धनराशि कम आवंटित होने के कारण वर्तमान तक भवन निर्माण पूर्ण नहीं किया जा सका है। इकाई का उत्तर सन्तोषजनक प्रतीत नहीं होता क्योंकि निर्माण कार्य की किसी भी आगणन पर सक्षम प्राधिकारी से वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।

अतः निर्माण कार्य के आगणन पर बिना अनुमोदन प्राप्त किये कार्य प्रारम्भ किये जाने तथा धनराशि रु0 76.92 लाख का व्यय किये जाने के उपरान्त भी कार्य पूर्ण न किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तरः 5 कार्यालय द्वारा बैंक खातों में रु0 460.21 लाख की धनराशि के अनावश्यक रुप से अवरुद्ध रखा जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या; 875(1)/वित्त अनुभाग–3/ 2003–04 दिनांक 30 अप्रैल 2003 एवं पत्र संख्याः 99/xxvii(14)/2009 दिनांक 03 सितम्बर, 2009 के प्रावधानों के अनुसार सरकारी विभागों के कार्यो हेतु बैंक में खाता खोलने का कोई प्रावधान नहीं है जब तक कि शासन के वित्त विभाग द्वारा विशेष कार्य/अवधि हेतु अनुमति प्राप्त न की गयी हो। यदि कोई अनाधिकृत बैंक खाता खोला गया हो तो उसे तत्काल बन्द कर दिया जाय एवं खाते में अवशेष धनराशि विभागीय पी एल ए में रखी जाय तथा उस पर अर्जित ब्याज सुसंगत लेखा शीर्षक 0049 में जमा कर दिया जाय। यह भी वर्णित है कि जब किसी कार्य के लिए तत्काल धन की आवश्यकता हो तभी कोषागार से आहरित किया जाय।

जिला समाज कल्याण अधिकारी, चमोली की रोकड बही एवं सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 02 बैंक खातों का संचालन अनाधिकृत रुप से किया जा रहा था, जिसके संचालन के लिए उपरोक्त प्रावधानानुसार शासन के वित्त विभाग से कोई अनुमति नहीं प्राप्त की गयी है। योजनाओं के अन्तर्गत शासन/निदेशालय स्तर से आवंटित धनराशि को कोषागार से आहरित कर इस बैंक खातों में रखा जाता है। आगे जॉच में पाया गया कि अधिकतर योजनाओं में आवंटित धनराशि को प्रगति प्रतिवेदनों में सत्प्रतिशत व्यय दर्शाया गया जबकि विगत दो वर्षो में बैंक से प्राप्त किये गये विवरण के अनुसार वित्तीय वर्ष के अन्त में निम्नानुसार धनराशि पडी हुई थी :

(धनराशि ` लाख में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	खाता संख्या	03/2016 के अन्त में अवशेष धनराशि	03/2017 के अन्त में अवशेष धनराशि	11/2017 के अन्त में अवशेष धनराशि
1	State Bank of India	11272220140	999.29	849.83	455.61
2	State Bank of India	35576838946	43.79	275.02	4.60
	Total		**1043.08**	**1124.85**	**460.21**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि लेखापरीक्षा तिथि माह 11/2017 के अन्त में भी उक्त बैंक खाते में रु0 460.21 लाख की धनराशि अनावश्यक रुप से अवरुद्ध पडी थी। यह भी पाया गया कि इन बैंक खातों से किये जा रहे लेन–देनों के लिए रोकड बही का रख रखाव नहीं किया जा रहा था। यह भी पाया गया कि योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित एवं कोषागार से आहरित सम्पूर्ण धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष के अन्त में शासन को शतप्रतिशत् धनराशि के व्यय का उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित किया जा रहा था जबकि बैंक विवरणी के अनुसार उक्त योजनाओं में वर्ष के अन्त में धनराशि शेष पडी हुई थी। इससे स्पष्ट होता है कि शासन को मिथ्या प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जा रहे है।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि बैंक खाते में अवशेष धनराशियों में अनुसूचित जाति उपयोजना की रु0 1.50 करोड तथा शेष वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन आदि योजनाओं से सम्बन्धित है जिसे लाभार्थियों को भुगतान किया जाना है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अनुसूचित जाति उपयोजना की वर्ष 2014–15 से सम्बन्धित धनराशि है जिसे दिशानिर्देशों के अनुसार अधिकतम छः माह में पूर्ण कर लिया जाना चाहिए था तथा सभी पेंशन योजना की धनराशि सीधे कोषागार के माध्यम से आनलाईन भुगतान किया जाता है। अतः बैंक खाते में धनराशि अवरुद्ध रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः कार्यालय द्वारा बैंक खातों में रु0 460.21 लाख की धनराशि के अनावश्यक रुप से अवरुद्ध रखे जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो ब

प्रस्तर :6 विकलागं पेन्शन रू 195.00 लाख अनियमित प्रेषण ।

विकलाग पेशन हेतु ऐसे व्यक्ति पात्र होगे जो बी०पी०एल श्रेणी के अन्तर्गत **आते** है। जिसकी मासिक आय रू 4000/– से अधिक न हो एवं एक परिवार मे पति पत्नी में से केवल एक ही व्यक्ति को पेशन का लाभ मिलेगा एवं महिला लाभार्थि को प्राथमिकता दी जायेगाी। पेशन का भुगतान प्रतिमाह रू 1000/– की दर से त्रैमासिक आधार पर भुगतान किया जाता हैं। निदेशक समाज कल्याण उत्तराखण्ड के पत्रांक सख्या 5137 दिनॉक 29 मार्च 2017 में स्पष्ट प्रावधान था कि निदेशालय द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार पेशन की धनराशि का भुगतान सीधे लाभार्थियों के खातें में आनलाईन/डी०बी०टी के माध्यम से भुगतान किये जाना का प्रावधान है।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी के वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 (11/2017) तक के विकलागं भरण पोषण से सम्बन्धित अभिलेखों की जाचॅ में पाया गया कि कुल रू 669.87 लाख विकलाग पेशन हेतु अवमुक्त किये गये थे। जाचॅ में पाया गया कि योजना के अन्तर्गत उक्त अवधि में 6876 पेशनरों को रू. 195.00 लाख आफ लाईन वितरण किया गया। जो कि आदेशों कि अवहेलना है। जबकि उच्चधिकारी द्वारा स्पष्ट दिशानिर्देश दिये थे कि समस्त धनराशि का भुगतान आनलाईन किया जाये। जिसका अनुपालन इकाई द्वारा नही किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग ने कहा कि **वकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत लाभा र्थयों के द्वारा डाकघर में खोले गये खातों के माध्यम से धनरा श का भुगतान आफ लाइन के माध्यम से कया जा रहा है। भ वष्य में उक्त खातों को सी.बी.एस. खातों में हस्तांतरण हेतु कार्यवाही की जा रही है।** उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नही है क्योकि निदेशालय द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार पेशन की धनराशि का भुगतान सीधे लाभार्थियों के खातें में आनलाईन/डी० बी०टी के माध्यम से भुगतान किया जाना का प्रावधान है। जिसका अनुपालन इकाई द्वारा नही किया गया है।

अतः विकलागं पेन्शन रू 195.00 **लाख** अनियमित प्रेषण करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर : 1 विगत दो वर्षो से कोषागार से ₹ 76.12 लाख के आहरण के उपरांत भी कार्यालय द्वारा रोकड़ बही में इन्द्राज न किया जाना।

कोषागार के माध्यम से समस्त शासकीय भुगतान सीधे संबंधितों के बैंक खातें में अंतरण कर ई-पेमेंट प्रणाली को लागु किये जाने से सम्बंधित उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के दिशानिर्देश दिनांक 01/2013 के बिंदु सं 4.9 के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी इन्टरनेट की सहायता से ekosh.uk.gov.in पर अपने Login ID से अपने देयको की धनराशि संबंधितों के बैंक खातें में अंतरण हो जाने के विवरण का प्रिंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान सम्बंधित बिबरण 11-सी पंजिका, कैश बुक, बिल रजिस्टर आदि में इनके प्राप्त होने की प्रबिष्टि यथा स्थल पर करेंगे।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, चमोली के लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा की कार्यालय द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, सैकोट द्वारा विगत वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में आहरित कुल धनराशि ₹ 7612116=00 को शासनादेश का उल्लंघन कर रोकड़बही में इन्द्राज नही किया गया जो की निम्नवत है :-

वर्ष	आवंटित धनराशि	आहरित धनराशि	ब्यय धनराशि	समर्पण	रोकड़ बही में इन्द्राज न किये गये धनराशि
2016-17	4180000	4040393	4040393	139607	4040393
2017-18 (Nov'17)	5377200	3571723	3571723	Nil	3571723
				Total	**7612116**

लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर इकाई द्वारा सहमति प्रदान करते हुए बताया गया की जानकारी के अभाव में ई-पेमेंट से सम्बंधित लेनदेन को रोकड़ वही में इन्द्राज नही किया गया एवं भविष्य में अनुपालन किया जायेगा।

अतः राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, सैकोट द्वारा बिगत दो वर्षो से कोषागार से ₹ 76.12 लाख आहरण के उपरांत भी रोकड़ बही में इन्द्राज न किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–3

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्नवत् है;

प्रति.संख्या	वर्ष	भाग–दो अ प्रस्तर सं0	भाग–दो ब प्रस्तर सं0	**STAN** प्रस्तर सं0
59	**2007-08**	**01** से **03**	**01** से **07**	शून्य
130	**2008-09**	शून्य	**01**	शुन्य
59	**2011-12**	**01**	**01,02**	**01,02**
11	**2016-17**	शून्य	**01,02**	शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः–

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अलुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
उपरोक्त वर्णित अनिस्तारित प्रस्तरों के निस्तारण के सम्बन्ध में इकाई ने अवगत कराया कि संदर्भित प्रस्तर की अनुपालन आख्या पूर्व में निदेशक, समाज कल्याण को प्रेषित किया गया है एवं वर्तमान स्थिति को लेते हुए महालेखाकार कार्यालय के लेखापरीक्षा दल को प्रस्तुत किया गया को प्रेषित कर दिया जाएगा।				

भाग–4

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग–5

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधित सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **जिला समाज कल्याण अधिकारी, चमोली** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः–

(अ) **शून्य**

सतत अनियमितताएंः–

(अ) **शून्य**

2. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम संख्या	नाम	पदनाम
1	श्री बृज लाल पलेठा	जिला समाज कल्याण अधिकारी
2	श्री सुरेन्द्र लाल	जिला समाज कल्याण अधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला समाज कल्याण अधिकारी, चमोली** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी जांए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र